बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 308

कारोबारी तनाव कम करें

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस इस सप्ताह ऐसे समय भारत आ रहे हैं, जब दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कारोबारी संबंध खराब होने की आशंका है। बहुत से लोग इस बात से चिंतित हैं कि भारत को विकासशील देश का दर्जा बनाए रखने के लिए तेजी से संरक्षणवादी बनते अमेरिका को राजी करने के विशेष प्रयास करने होंगे। रॉस की यात्रा इन खबरों के बीच हो रही है कि अमेरिका अपनी कारोबारी योजना में 'तरजीह की सामान्य प्रणाली (जीएसपी)' से भारत को हटाने के बारे में विचार कर रहा है। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

जीएसपी के तहत भारत को एक विकासशील देश होने के नाते अमेरिका को बहुत सी वस्तुओं का शुल्क-मुक्त निर्यात करने का मौका मिलता है। यह प्रणाली 1970 के दशक में लागू की गई थी और भारत इसका सबसे अधिक लाभ हासिल करने वाले देशों में से एक रहा है। कुछ अनुमानों के अनुसार इस योजना से अमेरिका को जितने राजस्व का नुकसान होता है, उसका एक चौथाई भारतीय निर्यातकों की जेब में जाता है। शून्य शुल्क की अहमियत का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारतीय परिधान निर्यातकों को यूरोपीय संघ को निर्यात में जूझना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें वहां ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि बांग्लादेश जैसे देशों को शून्य शुल्क का फायदा मिलता है।

ऐसा लगता है कि भारत की कारोबारी गतिविधियों के बारे में अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह अमेरिका का राजनीतिक माहौल है। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा तुलनात्मक रूप से कम है। यह मुश्किल से 22 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 566 अरब डॉलर है।

लेकिन भारत की अव्यवस्थित कारोबारी गतिविधियों से स्थिति और खराब हुई है। उदाहरण के लिए स्टेंट पर प्रतिबंध से अमेरिका में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के बंद होने की शिकायतें आई हैं। अमेरिका में डेयरी उद्योग ने भी शिकायत की है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने विशेष रूप से हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलों का जिक्र किया है, जो चुनावी रूप से अहम राज्य में बनती हैं। इन समस्याओं की वजह से पिछले साल 50 कारोबारी लाइनों को शून्य शुल्क वाली जीएसपी प्रणाली से बाहर कर दिया गया। हालांकि तब से मतभेद और बढ़े हैं। हाल में डिजिटल क्षेत्र में नीतिगत बदलाव कथित रूप से अमेरिका को खटक रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार और नियामकों ने डेटा को स्थानीय स्तर पर भंडारित करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इससे डिजिटल क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कुछ डेटा संग्रहीत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, जिसे वे व्यावसायिक स्तर पर नुकसानदेह मानती हैं।

हाल में ई-कॉमर्स क्षेत्र को लेकर लिए गए फैसलों को संरक्षणवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निर्भर ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को कहा गया है कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर विशेष प्रचार या स्टॉक या विक्रेता इकाइयों में भारी निवेश नहीं कर सकते।

इन बदलावों को भारतीय कंपनियों का पक्ष लेने और एकसमान मौकों को खत्म करने के रूप में देखा जा रहा है। अगर ऐसे बदलाव व्यापक नजरिया अपनाए बिना किए जाते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध से भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी के मौके आने की उम्मीद थी। सरकार के लिए एक अच्छा निर्यात तंत्र बनाना प्राथमिकता रहा है, लेकिन जीएसपी से बाहर किए जाने से निर्यात-संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगेगा। सरकार को रॉस की बात को धैर्य से सुनना होगा और यह देखना होगा कि कहां समझौता किया जा सकता है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। संरक्षणवाद किसी के हित में नहीं है, लेकिन भारत के हित में निश्चित रूप से नहीं।

अजय मोहंती

साल की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था की तस्वीर

जून तक की छमाही में वैश्विक एवं स्थानीय वृहद परिस्थितियां, ऋण संबंधी तनाव और अनिश्चितता के कारण अपेक्षाकृत उदासीनता का माहौल बना रहेगा। इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **अजय शाह**

वर्ष 2019 की पहली छमाही में वैश्विक और स्थानीय हालात से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वर्ष 2012 से लेकर 2018 के अंत तक हमें धीमा और आंशिक सुधार देखने को मिला। अब एक बार फिर हालात प्रतिकूल हैं। ऋण बाजार में उत्पन्न दबाव और अनिश्चितता इसकी वजह हैं। ये समस्याएं जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून तिमाही में उत्पादन पर असर डाल सकती हैं। इन बातों का असर वृहद नीति के स्वरूप पर भी होगा और अगली संसद और कैबिनेट की शुरुआती परिस्थितियों पर भी।

आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों में तो समस्या है ही, हम आर्थिक गतिविधियों की पुनर्रचना अन्य सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। 2012 से 2018 तक आंशिक सुधार देखने को मिला। जनवरी-जून 2019 की छमाही से क्या उम्मीद की जा सकती है?

देश की वृहद आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव की बड़ी वजह निजी निवेश है। सरकारी निवेश कहीं अधिक स्थिर है। निजी निवेश में तेजी से बदलाव होता है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। वर्ष 2011 के बाद से निजी परियोजनाओं की घोषणा करीब आधी (समायोजित लिहाज से) रह गई हैं। इसने रोजगार और वृहद आर्थिक क्षेत्र में तनाव उत्पन्न किया है।

हमें यकीनन यह सोचना होगा कि आखिर उच्च निवेश की परिस्थितियां किस प्रकार तैयार की जाएं? हम घरेलू निवेशकों को अपने वश में समझते हैं जोकि गलत है। उनके पास हमेशा यह विकल्प होता है कि वे चुप बैठे रहें। अगर हम चाहते हैं कि वे निवेश करें तो हमें अनुकूल माहौल बनाना होगा। हमें यह चिह्नित करना चाहिए कि भारतीय किस हद तक अपनी गतिविधियों, परिसंपत्तियों और यहां तक कि लोगों को देश के बाहर स्थानांतरित करने में सक्षम हैं। हम घरेलू निवेश को हल्के में नहीं ले सकते, वैसे ही जैसे विदेशी निवेश को।

तीन समस्याओं को चिह्नित किया जा सकता है। पहली का संबंध वैश्विक और घरेलू वृद्धि से है। जब मांग का परिदृश्य अच्छा होता है तब निजी स्तर पर लोग निवेश के इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मांग कमजोर होती है तो पूरा जोर क्षमता के इस्तेमाल और उत्पादन योजनाओं के संरक्षण पर होता है। कई फर्म अपना मार्जिन कम करके भी उत्पादन की रक्षा करती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्षमता वृद्धि नहीं चाहेंगी।

दूसरी समस्या गैर वित्तीय कंपनियों और उनके कर्जदाताओं में ऋण के तनाव से संबंधित है। करीब एक तिहाई गैर वित्तीय कंपनियों की बैलेंस शीट दबाव में है। यही हालत दो तिहाई बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की है। जब एक संस्थान दिक्कत में आता है तो वह चुनिंदा लोगों को ऋण देना बंद कर देता है। अल्प अवधि में इससे इन कर्जदारों के लिए दबाव पैदा होता है। यह तब तक होता है जब तक कि ऐसे नए रिश्ते नहीं बन जाते।

आईएलऐंडएफएस, एनबीएफसी, बॉन्ड बाजार और म्युचुअल फंड से जुड़ी कठिनाइयों का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर तरंगीय प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव समस्या से परे जाकर भी असर दिखाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कार कंपनी कम कारें बनाती है तो वह कम कलपुर्जे भी खरीदेगी।

गैर वित्तीय क्षेत्र का ऋण का दबाव निजी क्षेत्र की निवेश की इच्छा और क्षमता दोनों को प्रभावित करता है। कुछ हद तक ऋण बाजार की कठिनाइयां आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित रकती हैं और कई कंपनियों की निवेश की इच्छा समाप्त हो जाती है। कुछ कंपनियों के लिए आकर्षक ब्याज दर पर उधार जुटा पाना मुश्किल होता है और यह बात निवेश को प्रभावित करती है।

तीसरी समस्या अनिश्चितता की है। निजी क्षेत्र में कई लोग जांच एजेंसियों से निपटते हुए परेशान रहते हैं। निवेश के लिए आशावाद की आवश्यकता होती है और कई लोग तब तक विस्तार योजनाओं को रोक रखना चाहते हैं जब तक कि उनकी समस्याओं का निराकरण न हो जाए। नियामकों और कर अधिकारियों से निपटने में भी तमाम जोखिम हैं। बीते कुछ सप्ताह में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि आम चुनाव के नतीजों तक प्रतीक्षा कर ली जाए, उसके बाद विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त तीनों कठिनाइयों की वजह से निवेश रुका हुआ है। जनवरी से जून 2019 तक की अवधि में यह समस्या बरकरार रहेगी। इसका असर जाहिर तौर पर मौद्रिक नीति पर भी पड़ेगा। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों को आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों को देने वाली तवज्जो कम करनी होगी। एक बार ऐसा हो जाने के बाद हमें अर्थव्यवस्था में निरंतरता दिखेगी। आरबीआई पर भी यह दायित्व है कि वह अर्थव्यवस्था में खुदरा महंगाई सूचकांक को 4 फीसदी पहुंचाने में सहायता करे। इसके लिए दरों में कटौती करनी होगी। चूंकि मौद्रिक नीति पारेषण कमजोर है इसलिए अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के लिए काफी अधिक कटौती करनी होगी।

चुनाव नजदीक आने पर की गई कटौती को राजनीतिक कदम बताते हुए आलोचना की जा सकती है। मुद्रास्फीति के लक्ष्य की सबसे अच्छी बात यह है कि आरबीआई का लक्ष्य स्पष्ट है। हमें पता है कि खुदरा महंगाई निरंतर 4 फीसदी के तय लक्ष्य से नीचे रही है। ऐसे में दरों में कटौती के लिए ठोस दलील मौजूद है। अच्छी बात यह है कि अगर आरबीआई अभी कटौती करता है तो इस पर राजनीति प्रेरित होने का इल्जाम भी नहीं लगेगा।

चुनाव के बाद आर्थिक नीति संबंधी टीम को इन कठिनाइयों की मूल वजह तलाशनी होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निजी निवेश का माहौल तैयार करना होगा। इसमें आर्थिक नीति निर्माण में राज्य की बदलती भूमिका से लेकर नियामकों के कामकाज, कर नीति और कर प्रशासन तथा जांच एजेंसियों का काम आदि सभी शामिल होंगे। हालांकि निजी निवेश की पड़ताल के लिए घोषित और क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं पर निगाह डाली जा सकती है।

अब राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र लिख रहे हैं। आर्थिक नीति डिजाइन की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सरकार की भूमिका के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था तैयार की जाए। यह ऐसी जगह हो जहां सरकार की मामूली भूमिका के साथ व्यक्तियों तथा कंपनियों के हितों का संरक्षण किया जाए। ऐसी आर्थिक नीति विकसित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो कारोबारी माहौल सुधरेगा और निजी निवेश के लिए भी बुनियाद तैयार होगी।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

ईवीएम मशीन की समीक्षा से ही बहाल हो पाएगा भरोसा

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

हर चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर चर्चा होने लगती है। भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों को देखते हुए ईवीएम अपरिहार्य हो चुकी हैं। लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक अपारदर्शी होने से इसमें धांधली के आरोप लगते रहते हैं। चुनाव आयोग ने लगातार इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। लेकिन यह दावा बेतुका है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ईवीएम का निर्माण करते हैं। ईवीएम एक कंप्यूटर ही होता है जिसके मदरबोर्ड में एक खास चिप लगी होती है और डाले गए मतों को दर्ज करने के लिए एक मेमरी यूनिट भी होती है। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है और उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इनका परिचालन नियंत्रित करने वाली चिप पर प्रोग्राम कोड अंकित होते हैं। इसमें गंभीर मसले खड़े होने की संभावनाएं निहित हैं।

उम्मीदवारों के नाम उनके चुनाव चिह्नों के साथ वर्णक्रम में दर्ज होते हैं। हरेक मशीन में करीब 3,800 मतों को स्टोर किया जा सकता है और उसमें 64 उम्मीदवारों को मिलने वाले मत दर्ज हो सकते हैं। हाल में डाले गए मत की पुष्टि करने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों में मतदान के बाद एक पर्ची निकलती है जिस पर मतदाता का नाम और उसके द्वारा डाले गए मत का ब्योरा होता है। मतदाता के पास यह जांचने के लिए 7 सेकंड का वक्त होता है कि उसका मत पसंदीदा उम्मीदवार को गया है या नहीं। यह समय बीतने के बाद वह पर्ची एक बंद बक्से में जमा कर दी जाती है। बाद में जरूरत महसूस होने पर ईवीएम में दर्ज मतों का वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान किया जा सकता है। अगर दोनों विवरणों में मेल नहीं बैठता है तो उसे मतदान अधिकारी को बताना चाहिए। फिर 'टेस्ट वोट' का प्रावधान रखा गया है। अगर उसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस ईवीएम मशीन को हटाकर दूसरी मशीन लगा दी जाती है। लेकिन टेस्ट वोट में कोई गड़बड़ी न मिलने पर शिकायत खारिज कर दी जाती है।

हरेक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और एक मतदान यूनिट होती है। वीवीपैट एक अलग मशीन होती है और ईवीएम से जोड़ी जाती है। ईवीएम की दो इकाइयां एक तार से जुड़ी होती हैं। मतदान यूनिट पर मतदान से संबंधित बटन लगे होते हैं जबकि कंट्रोल यूनिट में मतों का ब्योरा रखा जाता है और गिनती के समय मतों की संख्या के बारे में भी बताती है। मतदान यूनिट पर जब भी बटन दबाया जाता है तो एक मत दर्ज हो जाता है और वह मशीन लॉक हो जाती है। अगला मत दर्ज करने के लिए कंट्रोल यूनिट की मदद से उसे अनलॉक करना पड़ता है।

जनवरी में सैयद शुजा नाम के एक शख्स ने ईवीएम मशीनों को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया था। शुजा ने वर्ष 2009-14 तक ईसीआईएल में काम करने का दावा करते हुए कहा कि वह ईवीएम मशीनों के डिजाइन और परीक्षण करने वाली टीम का हिस्सा रहा था। वर्ष 2014 के चुनाव में इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। शुजा के मुताबिक उसे अमेरिका में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रिलायंस जियो ने 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीनों को कम-आवृत्ति वाले सिग्नलों के जरिये प्रभावित कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा पहुंचाया। (वैसे जियो की वाणिज्यिक सेवाएं सितंबर 2016 में शुरू हुई थीं।) हालांकि शुजा ने अपने बड़े दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया।

जनवरी में ही आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने यह दिखाने की कोशिश की कि ईवीएम के हार्डवेयर को बदलना किस तरह संभव है। अन्य शोधकर्ताओं ने भी ईवीएम को हैक किए जाने की स्थिति दर्शायी है। उनके मुताबिक चिप या सर्किट बोर्ड को आसानी से बदलकर हैकिंग की जा सकती है। चिप के साथ बड़ी समस्या यह है कि उसका न तो परीक्षण हो सकता है और न ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। ईसीआई के पास यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि किसी ईवीएम में लगी चिप दूसरी चिप से बदली जा चुकी है।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने बारंबार यह कहा है कि सोर्स कोड बताने से ईसीआई के इनकार से यह काफी असुरक्षित हो जाता है। किसी भी गोपनीय एवं बग वाले कोड को खंडित किया जा सकता है और पहचाने जाने का भी डर नहीं रहता है। यही वजह है कि तमाम बड़ी कंपनियां अपने प्रोग्राम के सोर्स कोड जारी करती हैं जिसके आधार पर स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञ उनमें मौजूद खामियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय बता सकते हैं।

ईसीआई इस समय ईवीएम या वीवीपैट नहीं बदलने जा रहा है। एक मांग यह की गई है कि 50 फीसदी ईवीएम मशीनों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए और अधिक गलतियां पाए जाने पर वहां पुनर्मतदान कराया जाए। एक अन्य सुझाव यह है कि जीत का अंतर कम होने पर वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य की जाए।

ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के औचक नमूने रखे जाने चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया में भरोसा बहाल हो सके। वीवीपैट से जुड़ी खामियों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कोई भी चालाक हैकर लगातार कई मतों में छेड़खानी नहीं करेगा। मसलन, हरेक तीसरे मत में छेड़छाड़ की जा सकती है और उसके बाद भी वीवीपैट का टेस्ट वोट यही बताएगा कि मशीन सही तरह काम कर रही है।

ईवीएम का मौलिक डिजाइन 1980 में तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति में ईवीएम के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की समीक्षा का वक्त आ चुका है। इसका सोर्स कोड भी जारी किया जाना चाहिए ताकि खामियों को दूर कर मतदाताओं का भरोसा बहाल किया जा सके।

कानाफूसी

मंदिर का निर्माण

अबू धाबी अपने पहले हिंदू मंदिर के लिए पूरी तरह तैयार है और आगामी 20 अप्रैल को इस हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं, अप्रैल माह में भारत में भी लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अबू धाबी सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में हिंदू मंदिर बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। हिंदू धार्मिक और नागरिक संगठन बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान इस मंदिर का निर्माण कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के तौर पर बनाए जा रहे इस मंदिर के निर्माण के लिए अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 13.5 एकड़ जमीन दान दी थी। फिलहाल दुबई स्थित भगवान शिव और कृष्ण के मंदिर ही संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर हैं।

तेज होते कदम

वर्तमान लोकसभा के आखिरी दिन बुधवार को आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में एक रैली करने की योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को भी इसमें शामिल होने का न्यौता दिया गया। जंतर मंतर पर होने जा रही इस रैली का विषय 'तानाशाही हटाओ, देश बचाओ' रखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने वाली मिड डे माल योजना के लिए वृंदावन में थे।

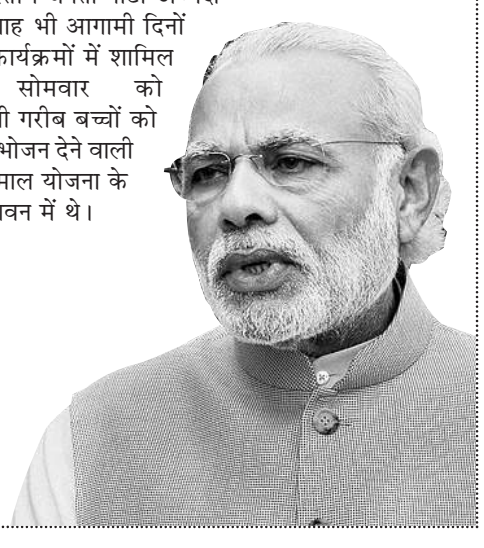

आपका पक्ष

नागरिकता संशोधन विधेयक पर रार

केंद्र सरकार राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। इससे पहले 8 जनवरी को लोकसभा से यह विधेयक पास हुआ था। हालांकि उत्तर-पूर्वी राज्य इस विधेयक का भारी विरोध कर रहे हैं। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित पूर्वोत्तर के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के स्वदेशी लोगों के अधिकार किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के तहत नागरिकता कानून 1955 में संशोधन कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात कही गई है। इस बिल के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कई लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत के साथ खिलवाड़ होगा। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जिस नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध हो रहा है, उससे बांग्लादेशियों की जगह पाकिस्तानियों को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। इस बिल के जरिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 31 हजार से ज्यादा प्रवासियों को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। इस बिल से उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें सरकार ने दीर्घावधि वीजा दिया है। विधेयक का विरोध कर रहे जातीय संगठनों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार के इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो असमिया भाषा, साहित्य और संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम इस तरह के निर्णय ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसके पीछे कोई भी राजनीतिक उद्देश्य ना हो। सरकार को सभी दलों की बात पर गौर करना चाहिए और संसद में विधेयक पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए।

संदेश तिवारी, गुरुग्राम

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं

समावेशी व संतुलित रहा केंद्रीय बजट

यह संतुलित विकासगामी अंतरिम बजट है। इसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बजट में समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ न कुछ गुंजाइश रखी गई है। एक हद तक इसे समावेशी बजट कह सकते हैं। इस बजट में दो हेक्टेयर तक जोत वाले लघु व सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है जिससे करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बजट में छोटे व मझोले उद्यमियों को जो राहत दी गई है, उससे रोजगार सृजन की उम्मीद की जा सकती है। यह बजट काफी हद तक लोकलुभावन स्वरूप वाला भी है। बजट से साधारण लोगों के उपभोग में भी इजाफा होगा जिससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।

आशुतोष वर्मा, अंबेडकर नगर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।